प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष
(संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम 2010

आलेख एवं प्रस्तुति सहायक : शिव कुमार भगत

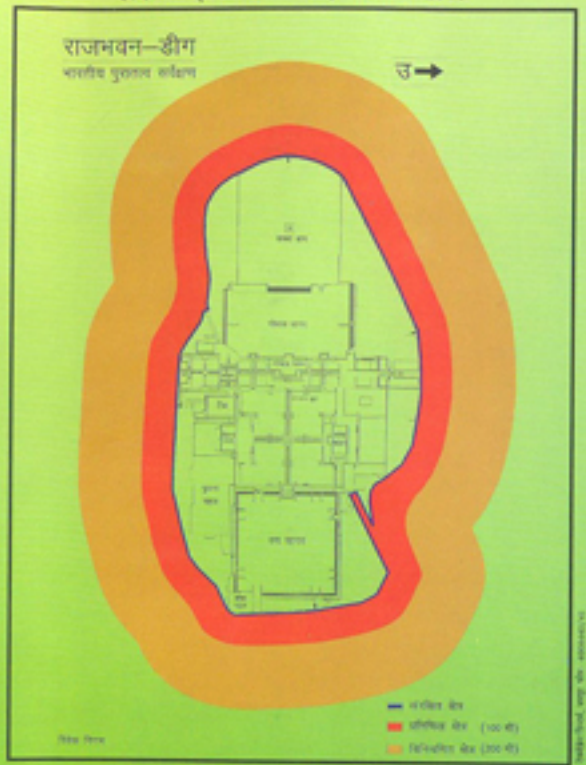

विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितम्बर, 2011 के अवसर पर प्रकाशित

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

150वीं वर्षगांठ

विश्व पर्यटन दिवस

डीग के राजभवन

सैयद जमाल हसन
अधीक्षण पुरातत्वविद्

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
... जयपुर
फोन नं. 0141-..., ई मेल : circlejai.asi@gmail.com

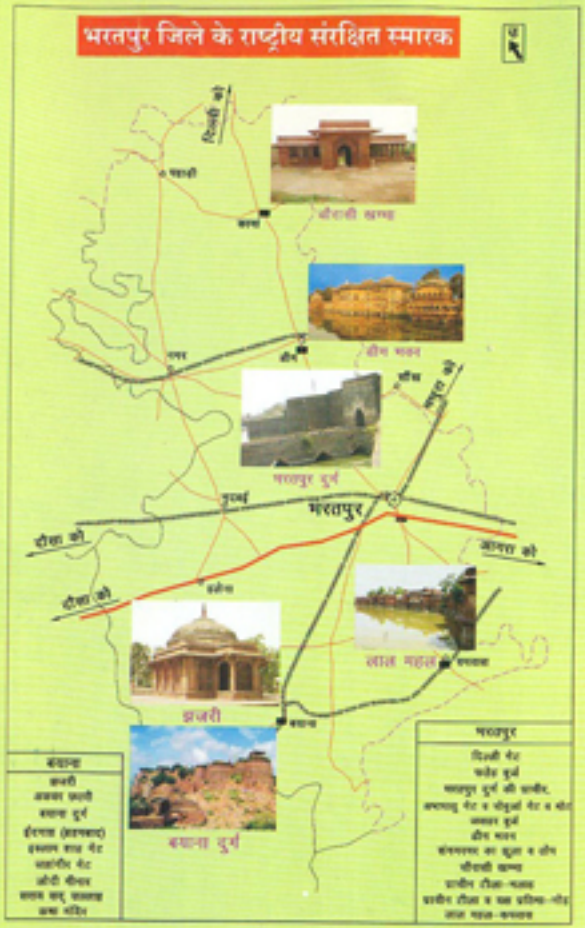

भरतपुर जिले के राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस वर्ष अपनी स्थापना (दिसम्बर 1861) की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है जिसका अस्तित्व एक लघु इकाई से बढ़कर सुव्यवस्थित संगठन के रूप में विकसित हो चुका है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थलों का अन्वेषण, संरक्षण, परिरक्षण, पुरालेखीय शोध, संग्रहालयों की स्थापना, स्मारक परिसरों में उद्यान का विकास, देश की बहुमूल्य कलाकृतियों को अवैध रूप से विदेश में जाने से रोकना, पुरावशेषों एवं स्मारकों को सूचीबद्ध करना तथा वास्तुशिल्पीय सर्वेक्षण इत्यादि है। इसके अतिरिक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रसायन शाखा (स्थापित 1917) पुरावशेषों, कलाकृतियों व स्मारकों का रासायनिक संरक्षण योजनाबद्ध ढंग से करता चला आ रहा है। वर्तमान में यह विभाग देश के कुल 3676 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों व पुरातात्विक स्थलों की देखरेख व संरक्षण का कार्य अपने 24 मण्डलों द्वारा कर रहा है जिसमें जयपुर मण्डल की भी एक प्रमुख भूमिका है।

सन् 1985 ई0 में भारत सरकार द्वारा राजस्थान स्थित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों / पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण व परिरक्षण हेतु जयपुर मण्डल की स्थापना की गई। प्रारम्भिक काल में इसके दक्षिणी भाग में स्थित स्मारकों की देखरेख बड़ौदा मंडल तथा उत्तर में स्थित स्मारकों की देखरेख दिल्ली व देहरादून मंडल द्वारा की जाती थी। इस समय राजस्थान के कुल 160 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों / पुरातात्विक स्थलों को 9 उपमण्डलों में विभाजित कर उनके संरक्षण व परिरक्षण का कार्य योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है। इसके साथ ही जयपुर मंडल राजस्थान के विभिन्न जिलों में सर्वेक्षण, उत्खनन, ग्राम–ग्राम अन्वेषण एवं सांस्कृतिक जनजागरण का कार्य कर रहा है ताकि स्थानीय जनता अपनी बहुमूल्य धरोहरों के प्रति जागरूक व संवेदनशील बनी रहे और आगे आने वाली पीढ़ी को यह विरासत अक्षुण्ण रूप में प्राप्त हो सके।

राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। विविध प्रकार के स्मारक एवं पुरातात्विक स्थलों के साथ–साथ विभिन्न प्राकृतिक स्थल, वन्य जीवन अभयारण्य, धार्मिक स्थल यहाँ की संस्कृति एवं लोक परम्परायें, पर्व–त्योहार, मेले एवं उत्सव आदि बड़े पैमाने पर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। 'पधारो म्हारे देश' का सूत्रवाक्य तथा 'रंगीलो राजस्थान' की छवि सैलानियों को बारम्बार यहाँ आने को मजबूर करती है। इनके आगमन और ठहराव को विघ्नरहित बनाने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने स्मारकों एवं पुरातात्विक स्थलों पर विविध प्रकार की जन–सुविधाओं यथा शीतल पेयजल की व्यवस्था, आधुनिक शैली के शौचालयों का निर्माण, सूचना केन्द्र, सुगम पहुंच के मार्ग, प्रकाश व्यवस्था, प्रकाशन विक्रय–पटल, प्राथमिक चिकित्सा पेटी, तथा विकलांगों के लिए चलकुर्सी आदि द्वारा पर्यटन विकास में अपना योगदान दे रहा है। तथापि अभी काफी कुछ किये जाने की आवश्यकता है। पर्यटकों की सुरक्षा तथा विशेषकर जो पर्यटन–स्थल मुख्य शहरों से दूर स्थित हैं, उनके आरामदायक आवागमन हेतु आधारभूत संरचनाओं को और विकसित करने की जरूरत है। इस हेतु जिला प्रशासन, पुलिस एवं राज्य सरकार की महती भूमिका अपेक्षित है। सबसे बड़ी बात कि यह कार्य आम नागरिकों के सहयोग के बिना संभव नहीं है, अतः उन्हें जागरूक किये जाने की जरूरत है ताकि उनमें 'अतिथि देवो भव' का भाव जाग्रत किया जा सके। विश्व पर्यटन दिवस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस पुस्तिका का प्रकाशन उसी प्रयास की ओर एक विनम्र कदम है।

यह प्रदेश राजाओं, किलों, महलों, मंदिरों, विभिन्न वेश–भूषाओं, अपने मेलों एवं त्योहारों, अपनी विलक्षण वास्तुकला तथा असंख्य पुरातात्विक स्मारकों / स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इस महान विभिन्नता के सांस्कृतिक–संग्रह में पाषाणकालीन अवशेषों से लेकर सिंधुघाटी सभ्यता के स्थल, पूर्व ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक स्थल, उत्खनित स्थल तथा अवशेष, हिन्दू और जैन मंदिर, बौद्ध गुफाएं तथा मीनारें, कुंड, बांध, घाट तथा बावड़ी, बाग, मण्डप तथा तोरण, आदमकद एकाश्म मूर्तियां तथा स्तम्भ, उत्कीर्ण लेख व भित्तिचित्र तथा युद्ध के मैदान शामिल हैं।

इनकी सुरक्षा हेतु अपनाये गये उपायों में संरचनात्मक संरक्षण, बाहर निकल आये स्मारक के भागों को उनकी पूर्व स्थिति में संरक्षित करना, प्राचीन ध्वंसावशेषों को बाहर लाने हेतु उन पर जमे मलबों की वैज्ञानिक पद्धति से सफाई, दुर्ग के रक्षा प्राचीरों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार, दीवार के कमजोर जोड़ों में मसाले का भराव, खंडित एवं विलुप्त पत्थर की जालियों तथा छज्जों का जीर्णोद्धार, रक्षा–प्राचीर एवं उनके बुर्जों को जल निरोधक बनाना तथा अपनी वास्तविक स्थिति से झुक गई इकाइयों को फिर से सीधा कर उन्हें उनकी मौलिक स्थिति में स्थिर कर देना आदि प्रमुख कदम हैं।

सिंह पोल, सितम्बर–2011

भरतपुर जिले में स्थित डीग जिसका प्राचीन नाम दीर्घपुर था, अट्ठारहवीं–उन्नीसवीं शताब्दी ई. में स्थानीय जाट शासकों के सत्ता का केन्द्र बना। दिल्ली से 153 कि. मी. एवं आगरा से 98 कि. मी. दूर पावन ब्रजभूमि की सीमा में अवस्थित होने से इस स्थान का महत्व बढ़ जाता है।

डीग में राजाराम (1686–88 ई.) के नेतृत्व में जाट किसानों का अभ्युदय हुआ जिसकी पुष्टि ऐतिहासिक साक्ष्यों द्वारा होती है। तत्पश्चात भज्जासिंह (1688–95 ई.) एवं चूड़ामन (1695–1721 ई.) ने इस समुदाय का नेतृत्व किया। चूड़ामन की मृत्यु के पश्चात बदनसिंह (1722–56 ई.) ने पास के कई जिलों पर आधिपत्य करके भरतपुर में जाट–शासन की वास्तविक नींव रखी। बदनसिंह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सूरजमल (1756–1763 ई.) एक महान शासक हुआ, जिसके शासन काल में जाट शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई। उन्हें भव्य भवनों, बागीचों एवं सरोवरों आदि के निर्माण में विशेष रुचि थी, उन्होंने डीग को एक उद्दीप्यमान नगर में परिवर्तित कर दिया।

डीग के राजभवनों का निर्माण महाराजा सूरजमल एवं उनके पुत्र जवाहर सिंह द्वारा करवाया गया जिससे इस नगर की सुन्दरता में चार चांद लग गये। दो मुख्य सरोवरों गोपाल सागर एवं रूप सागर के मध्य स्थित भवनों के ये समूह स्थानीय स्तर पर जलमहल के नाम से प्रसिद्ध हैं। हल्के गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से निर्मित इन भवनों की स्थापत्य कला में प्रायः मुगल स्थापत्य एवं राजपूत शैली के कई तत्वों का सम्मिश्रण मौजूद है। इन्हें क्रमशः गोपाल भवन सह सावन एवं भादो मंडप, सूरज भवन, हरदेव भवन, किशन भवन, केशव भवन तथा नन्द भवन के नाम से जाना जाता है। व्यापक पैमाने पर फव्वारों का प्रयोग डीग के जलमहलों की अद्वितीय विशिष्टता है। महलों में प्रवेश हेतु तीन द्वार हैं जिनमें सिंह पोल प्रमुख है।

गोपाल भवन, सितम्बर–2011

उल्लेखनीय है कि गोपाल भवन एवं किशन भवन को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संग्रहालय का स्वरूप दिया गया है जिसमें तत्कालीन जाट शासकों द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। वर्तमान में इन भवनों में प्रदर्शित सामग्रियों की कुल संख्या पांच सौ सैंतालीस है।

सिंह द्वार

डीग महल परिसर का यह मुख्य प्रवेश द्वार है जिसका निर्माण अपूर्ण है। स्थापत्य शैली की दृष्टि से यह अपेक्षाकृत परवर्ती कालीन निर्माण प्रतीत होता है। इस द्वार में बनायी गयी दो सिंह आकृतियों के कारण ही इसका नाम सिंह–द्वार पड़ा।

गोपाल भवन

यह भवन परिसर में स्थित अन्य सभी भवनों में सबसे विशाल एवं भव्य है। गोपाल सागर में पड़ने वाले इसके प्रतिबिम्ब से सम्पूर्ण परिसर का वातावरण अलौकिक सौन्दर्यमय हो जाता है। इस भवन में मध्यवर्ती विशाल कक्ष है जिसके दोनों ओर कम ऊँचाई वाले कई कक्ष बनाये गये हैं। जलाशय से लगे इसके तहखाने की दो मंजिलें ग्रीष्मकालीन आवास के रूप में प्रयोग की जाती थी। भवन का मध्यवर्ती प्रक्षेपित भाग भव्य मेहराबों एवं सुन्दर स्तम्भों से सुशोभित है।

गोपाल भवन के उत्तर और दक्षिण दोनों ओर क्रमशः सावन तथा भादो नामक दो मण्डप बनाये गये हैं। ये मण्डप द्वितलीय हैं जिनका ऊपरी तल ही सामने से दिखाई पड़ता है। इन मण्डपों की पालकीनुमा छतों को कलश पंक्तियों के शीर्ष द्वारा सुशोभित किया गया है।

सूरज भवन

संगमरमर से निर्मित सपाट छत वाला एक–मंजिला यह भवन, परिसर में

सूरज भवन, सितम्बर–2011

स्थित विशाल एवं उत्कृष्ट भवनों में से एक है। यह माना जाता है कि इसका निर्माण जवाहर सिंह द्वारा अपने पिता सूरजमल की स्मृति में कराया गया था। सूरज–भवन मूलतः मटमैले बलुआ पत्थर से बनाया गया था तथा बाद में उसे संगमरमर से पृष्ठावृत किया गया। कई स्थानों पर चूने के लेप का प्रयोग संगमरमर के प्रयोग से मिलते हुए किया गया है जो सामान्यतः दिखाई नहीं पड़ता है। सम्पूर्ण भवन में अलंकृत पट्टियों का प्रयोग तथा अर्द्ध बहुमूल्य पत्थरों द्वारा की गई उत्कृष्ट पच्चीकारी दर्शनीय है।

किशन भवन

परिसर के दक्षिणी भाग में स्थित किशन भवन के अलंकृत फलकीय पुरोभाग के बीचो–बीच पांच विशाल मेहराबों से युक्त प्रवेश द्वार है। मेहराबों के मध्यवर्ती एवं पुरोभाग में बारीक नक्काशी की गई है। इस भवन के अन्दर एक विशाल सभागार, दोनों पार्श्व में दो बड़े कक्ष तथा पीछे की ओर एक लम्बा गलियारा बना है। भवन के भीतरी भाग में छज्जायुक्त अलंकृत आला है जिसकी झुकावदार दिखावटी छत पर्णकुटी के आकार की है। इस भवन का उपयोग दरबार लगाने हेतु किया जाता था। अद्यतन इसमें संग्रहालय का दूसरा भाग है जिसमें तत्कालीन फर्नीचर के साथ–साथ दरबार में प्रयुक्त होने वाली अन्य वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक चित्र–दीर्घा है जिसमें सभी शासकों के चित्र दिखलाये गये हैं।

किशन भवन के पार्श्व में मेहराबों पर आधारित एक विशाल संरचना है। इसकी छत पर फव्वारों को पानी की आपूर्ति हेतु एक विशाल टैंक बनाया गया है जिसमें फव्वारों में जल पहुंचाये जाने हेतु छिद्र बने हैं। प्रत्येक छिद्र के साथ उसमें डाले जाने वाले रंग तथा उससे सम्बन्धित फव्वारे की पहचान अंकित है।

हरदेव भवन, सितम्बर–2011

फव्वारों को चलाये जाने पर रंग–बिरंगे जल तरंगों से बनने वाली इन्द्रधनुषी छटा पर्यटकों को मुग्ध कर देती है।

हरदेव भवन

सूरज भवन के पीछे स्थित इस भवन को अपेक्षाकृत पूर्ववर्ती माना जाता है। इसके सामने मुगल कालीन चार–बाग शैली का एक छोटा उद्यान है। सूरजमल के द्वारा इस भवन में कुछ परिवर्तन व परिवर्द्धन किये गये थे। इसके दक्षिण की ओर स्थित कक्ष दो मंजिला है। इसके भू–तल में एक उन्नत हुआ मध्यस्थ कक्ष है जिसमें दोहरे स्तम्भों पर आधारित मेहराबें बनाई गयी हैं। इसका पिछला भाग तीन ओर से स्तम्भों पर आधारित मेहराबदार बरामदों से घिरा हुआ है। इसके पृष्ठ भाग में कलश पंक्ति से युक्त पालकीनुमा छत वाला मण्डप है। ऊपरी तल के पिछले भाग में स्थित संकरी दीर्घा में पत्थर की बनी जालियों का प्रयोग किया गया है।

केशव भवन

बारादरी कहलाने वाला यह भवन रूप सागर के किनारे स्थित एक मंजिला पौरस खुला मंडप है। इस वर्गाकार भवन की छत चारों ओर से स्तम्भों द्वारा बने मेहराबों पर आधारित है। नीचे एक मध्यवर्ती मंच के चारों ओर नहर बनी है जिसमें फव्वारों का सुन्दर नियोजन हुआ है। छत पर भी यही योजना दोहराई गई है। इस मण्डप में वर्षा का आभास दिलाने हेतु एक अनूठी व्यवस्था की गई थी। इसकी छत में बहते हुये पानी द्वारा प्रस्तर गोलकों के आन्दोलित होने से गरजते बादलों की अनुभूति होती थी तथा मेहराबों के ऊपर स्थित परनालों से गिरते हुये पानी से वर्षा का आभास होता था।

नन्द भवन, सितम्बर–2011

नन्द भवन

यह भवन मध्यवर्ती उद्यान के पूर्वी भाग में बने एक चबूतरे पर स्थित है। यह एक विशाल आयताकार कक्ष है। इसमें प्रवेश हेतु दो तरफ से सात भव्य मेहराबदार प्रवेशद्वारों की व्यवस्था है। कक्ष के मध्य भाग की छत लकड़ी द्वारा बनायी गयी है। भवन के भीतर स्थित चार मुख्य अष्टकोणीय स्तम्भों पर पौराणिक आख्यानों की सुंदर चित्रकारी की गई है। अन्य भवनों की तरह इसके सामने भी जल–कुण्ड है तथा बाह्य भाग अत्यन्त अलंकृत है। इसकी बनावट से ऐसा प्रतीत होता है कि इस भवन का उपयोग राजकीय आमोद–प्रमोद के लिए किया जाता रहा होगा।

पुराना महल

बदनसिंह द्वारा निर्मित इस महल के विस्तृत आयताकार आन्तरिक भाग में दो अलग–अलग प्रांगण हैं। यह सामान्य राजपूत शैली में निर्मित महल है जिसका सामने का भाग बहुत आकर्षक है। इसमें बनायी गयी मेहराबें दांतेदार एवं नुकीली दोनों प्रकार की हैं। इनमें स्थित शाही कक्षों को मध्यवर्ती उद्यानों के साथ बनाया गया था। ये कक्ष आकार में काफी बड़े तथा हवादार बनाये गये हैं। उपर के कतिपय खण्डों में पालकीनुमा छत की योजना है। इस परिसर के पूर्व में रूपसागर स्थित है।

संरक्षण : समस्याएं एवं समाधान

सन् 1985 में जयपुर मंडल की स्थापना से पूर्व इस स्मारक के रख–रखाव का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिल्ली मंडल द्वारा किया जाता था। यद्यपि तब से अब तक इन राजभवनों में संरक्षण के कई कार्य किये जा चुके हैं तथापि अभी भी कई चुनौतियां यथावत विद्यमान हैं। इन समस्याओं का प्रमुख कारण

कार्य प्रगति पर, पैदल पथ, नंद भवन से पुराने बस स्टैण्ड तक, सितम्बर–2011

वस्तुतः भवनों का योजना विन्यास तथा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री ही है।

यह महल गहरे तथा बड़े आकार के दो मुख्य सरोवरों के मध्य स्थित है। इन सरोवरों में वर्षपर्यंत पानी भरा रहता है। इसके कारण इनके मध्य के भूभाग की मिट्टी ढीली हो गई है जिससे भवनों की नींव असंतुलित हो गई है। उद्यानों में लगातार सिंचाई, फव्वारों का चलना तथा अतिरिक्त जल के पर्याप्त निकास न हो पाने से भी मिट्टी की कठोरता में कमी आती है। जिस नींव के नीचे की मिट्टी कमजोर पड़ती है भवन का उस ओर झुकना प्रारम्भ हो जाता है। भार के बढ़ते जाने से यह दबाव और बढ़ता ही चला जाता है। नींव के असंतुलित हो जाने से छत में प्रयुक्त बड़ी–लम्बाई वाली धरण पर भी असामान्य दबाव पड़ता है और वे टूट रही हैं। इस कारण से ही भवनों की दीवारें तथा इनमें बने ताख, मेहराब एवं खंभों में भी दरार उत्पन्न हो गई हैं। सरोवरों में जल स्तर के लगातार घटते–बढ़ते रहने एवं तापमान में सामान्य या असामान्य बदलाव होने से भी उपरोक्त समस्याओं में वृद्धि होती जा रही है।

स्थापत्य घटकों में टूट–फूट एवं दरार का एक अन्य बड़ा कारण उनमें प्रयुक्त लोहे के संयोजक का प्रयुक्त होना है। नमी के संपर्क में आने से लोहे में जंग लगना स्वाभाविक है। इससे इनके आयतन में वृद्धि होती है। पाषाण के जोड़ों में प्रयुक्त लोहे के ये मेख (संयोजक) जब फूलते हैं तो जगह न मिलने पर धीरे–धीरे उस पाषाण में दरार पैदा कर देते हैं। डीग के महलों में जहां कहीं भी हमें लोहे के इन मेखों (संयोजकों) का प्रयोग दिखाई पड़ता है वहां दरारें पड़ गई हैं।

इनके अतिरिक्त इन भवनों की छत का विशाल भार भी एक चुनौती है। इनमें दोहरे छज्जों का प्रयोग किया गया है। इन छज्जों की पाषाण पट्टियां तथा इनके नीचे प्रयुक्त टोड़े अत्यधिक लंबे एवं भारी हैं। उनके ऊपर छत में भराव की

संरक्षित सीमा के चारों तरफ की चहारदीवारी का कार्य प्रगति पर, सितम्बर–2011

मोटाई लगभग 6 से 8 फीट तक है। अनुमान लगाया जा सकता है कि विशाल धरणों के वजन सहित छत का क्या वजन होगा एवं उसके कारण आधार तल पर कितना दबाव पड़ता होगा। नंद भवन, केशव भवन या बारादरी तथा गोपाल भवन जहां भी धरणें टूटी हैं उसके लिए उपरोक्त समस्त कारक सम्मिलित रूप से जिम्मेदार हैं।

फव्वारों को संचालित किये जाने हेतु पानी का टैंक जो एक मेहराबदार संरचना के ऊपर स्थित है, अपने विशाल भार तथा निर्माण में प्रयुक्त मसालों के मृतप्राय हो जाने के कारण संरक्षण हेतु एक बड़ी चुनौती है। इसके नीचे की संरचना काफी जीर्ण हो चुकी है। टैंक से फव्वारों तक जल संचालन हेतु मिट्टी के बने पाइप लगाये गये थे जो अब कई जगह से टूट गये हैं। इनसे होने वाले पानी का रिसाव नीचे की संरचना के लिए और अधिक क्षतिकारक है। टैंक में पानी भरे जाने की स्थिति में यह भार और अधिक बढ़ जाता है। अतः इसके प्रयोग को सीमित किये जाने की जरूरत है।

संरक्षण समस्याओं में कतिपय मानवीय कारक भी हैं। स्मारक की दीवारों पर कुछ लिखने से लेकर सजावटी अलंकरण विन्यासों को विकृत करने, सूरज भवन – जहां पच्चीकारी का कार्य किया गया है, से अर्द्ध बहुमूल्य पत्थरों को निकाल ले जाने, उद्यान तथा फव्वारों के बन्द नालों में तोड़–फोड़ करने तथा सर्वोपरि स्मारक परिसर के प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में अतिक्रमण करने तक कतिपय ऐसे कारण हैं जिससे इस स्मारक की महत्ता एवं इसके गौरव का ह्रास होता है। सरोवरों के गंदा रहने से भी यहां की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अद्यतन इस स्मारक में संरक्षण का कार्य लगातार प्रगति पर है। टूट–फूट गये अलंकृत फव्वारों एवं पत्थर की जालियों की मरम्मत कर दी गयी है तथा जो

सूचना केन्द्र, मार्च–2011

बिल्कुल नष्ट हो चुके थे उनके स्थान पर उनकी प्रतिकृति लगाकर उनका पुनरुद्धार किया गया है। नंद भवन के पश्चिमी भाग के छज्जों को निकाल कर उनका संरक्षण किया गया है साथ ही उसकी छत का भराव भी परिपूर्ण कर दिया गया है। गोपाल भवन के ठीक सामने स्थित प्रहरी कक्ष जो एक तरफ झुक गया था को सिर्फ यांत्रिक विधि से सीधा कर दिया गया है। किशन भवन के दायें पार्श्व में स्थित कक्ष का एक भाग अपनी मौलिक स्थिति से बाहर निकल आया था जिसके संरक्षण का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। फिलहाल देशी–विदेशी पर्यटकों की सुविधा हेतु अन्तराष्ट्रीय स्तर के शौचालयों के पुनरुद्धार का कार्य जारी है। इसके साथ ही परिसर के चारों ओर कंपूतायुक्त भित्ति बनाने का कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जावेगा। रूपसागर से लगे घाट, जालियों तथा प्रक्षेपित छज्जों के संरक्षण का कार्य गत वर्ष पूरा कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त भी स्मारक के किसी भी भाग में हुए टूट–फूट का संरक्षण वर्षपर्यंत जारी रहता है। पर्यटकों की सुविधा हेतु द्विभाषीय अधिसूचना पट्ट, सांस्कृतिक सूचना पट्ट, गर्वोक्ति पट्ट तथा आवश्यक स्थानों पर मार्गदर्शक पट्ट यहां के निर्माण में प्रयुक्त पत्थरों के समरूप पत्थरों पर उत्कीर्ण कर लगाये जा चुके हैं। स्थानीय निवासियों को सावचेत एवं जागरूक करने हेतु प्रतिषिद्ध क्षेत्र (100 मीटर) तथा विनियमित क्षेत्र (200 मीटर) के संकेतक पाषाण भी स्मारक के चारों ओर लगाए गये हैं।

उक्त संरक्षण एवं परिरक्षण के समस्त कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियमित तकनीकी कर्मियों कक्ष, उप अधीक्षण पुरातात्विक अभियंता, सहायक अधीक्षण पुरातात्विक अभियंता, संरक्षण सहायक, फोरमैन आदि की निगरानी में

जवाहर प्रदर्शनी एवं ब्रज यात्रा मेला, 27.08.2011 से 03.09.2011

तथा जयपुर मंडल के प्रभारी – अधीक्षण पुरातत्वविद् के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डीग के सभी नागरिकों तथा आने वाले पर्यटकों से अनुरोध करता है कि आप विरासत की महत्ता को समझते हुए इस परिसर को साफ–सुथरा तथा अतिक्रमण मुक्त रखने में अपना सहयोग दें। उद्यान परिसर में किसी भी तरह की तोड़–फोड़ न करें, स्मारकों पर कुछ न लिखें, यत्र–तत्र न थूकें तथा अपने सभ्य एवं जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। बाहर से आने वाले यात्रियों तथा विशेषकर विदेशी पर्यटकों के साथ शिष्ट व्यवहार करें एवं अपने हावभाव या किसी तरह की टिप्पणी से उन्हें अपमानित न करें। अपनी इस महान विरासत का सम्मान करें तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। आइये अतीत के परिरक्षण में अपना सहयोग कर गौरवान्वित अनुभव कीजिए।

संगमरमर का झूला, शिल्पकार–2011

नोट : गोपाल भवन के एक छोटे कक्ष में हनुमान जी की एक प्रतिमा यहां के महाराजा द्वारा व्यक्तिगत पूजा के निमित्त स्थापित की गयी थी जिसे अब स्थानीय लोग भी पूजने लगे हैं। जनभावनाओं का सम्मान करते हुए विभाग ने पूजा–अर्चना करने वाले व्यक्तियों का प्रवेश निःशुल्क रखा है।

प्रहरी कक्ष, डीग

जैक के माध्यम से
सीधा करते हुए

नन्द भवन, डीग

नन्द भवन के छज्जे, डीग

किशन भवन, डीग

दीर्घा, रूपसागर

दीर्घा, रूपसागर

दीर्घा, रूपसागर

फव्वारे, हरदेव भवन

भारत सरकार

सत्यमेव जयते

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958

(1958 का अधिनियम संख्यांक 24)

(1 जून, 1979 को यथाविद्यमान)

संरक्षित स्मारक

यह स्मारक प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 (1958 की 24) के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुँचाता, नष्ट करता, विलग अथवा परिवर्तित करता, कुरूप करता, खतरे में डालता या दुरुपयोग करते हुये पाया जाता है तो उसे इस अपकृत्य के लिए **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010** के अन्तर्गत दो (2) वर्ष तक का कारावास या रु. 1,00,000/- (एक लाख) तक जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

प्राचीन संस्मारक

प्राचीन संस्मारक से तात्पर्य है कि कोई प्राचीन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कब्रिस्तान, मकबरा, इमामबाड़ा, ईदगाह, हमाम, करबला, किला, बावड़ी, ऐतिहासिक तालाब व घाट, महल, हवेली, धर्मशालाएं, प्राचीन द्वार, मानव निर्मित गुफाएं, स्तम्भ, उत्कीर्ण प्रतिमाएं, छतरियां, स्मृति, स्मारक, स्तूप, विहार, उत्खनित स्थल, उत्कीर्ण लेख, प्राचीन पुल, वेधशाला, कोसमीनार, एकाश्मक एवं ऐसी संरचना जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और कम से कम 100 वर्षों से विद्यमान हो। पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष से तात्पर्य है कि कोई प्राचीन टीला/क्षेत्र जिनमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के अवशेष होने की संभावना हो।

संरक्षित क्षेत्र

धारा 19(1) कोई भी व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र का स्वामी या अधिभोगी भी है, संरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी भवन का सन्निर्माण या ऐसे क्षेत्र में कोई खनन, खदान क्रिया, उत्खनन, विस्फोट या इसी प्रकार की कोई संक्रिया नहीं करेगा और न केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग का उपयोग किसी अन्य रीति से करेगा।

तथापि संरक्षित क्षेत्र में पूर्व विद्यमान किसी भवन या संरचना की मरम्मत या जीर्णोद्धार हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन कर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

आज्ञा से

भारत सरकार

आप इस संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के निषिद्ध (प्रतिषिद्ध) क्षेत्र में हैं।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 तथा संशोधित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम,1958 के प्रावधान के अनुसार इस स्मारक सहित संरक्षित स्मारक की 100 मीटर की सीमाओं के भीतर आने वाला क्षेत्र निर्माण के प्रयोजनों के लिए 'निषिद्ध क्षेत्र' घोषित किया गया है।

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष नियम 1959 के उप-नियम 32 तथा 1992 में जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत संरक्षित सीमा से 100 मीटर के भीतर का क्षेत्र प्रतिषिद्ध घोषित है, जिसमें किसी भी प्रकार के **निर्माण/खनन** की अनुमति नहीं है तथा इसके आगे 200 मीटर तक का क्षेत्र विनियमित घोषित है जहाँ भवनों की मरम्मत, परिवर्तन तथा निर्माण/नव निर्माण राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है।

यह भी जनता के ध्यान में लाया जाता है कि निषिद्ध क्षेत्र में निर्माण या विनियमित क्षेत्र में पूर्वानुमति के बिना निर्माण करने के संबंध में इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर कारावास का दण्ड दिया जा सकता है जिसे बढ़ाकर दो वर्ष तक का कारावास या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों किये जा सकते हैं।

आज्ञा से

भारत सरकार

आप इस संरक्षित स्मारक के 200 मीटर के विनियमित क्षेत्र में हैं।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 तथा संशोधित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम,1958 के प्रावधान के अनुसार इस स्मारक के निषिद्ध क्षेत्र की सीमाओं से 200 मीटर के क्षेत्र को **'विनियमित क्षेत्र'** घोषित किया गया है जहां इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई पूर्वानुमति के पश्चात ही निर्माण किया जा सकता है। (यद्यपि जो भवन 16 जून, 1992 के पूर्व के बने हुए और जर्जर अवस्था में हैं उसकी मरम्मत की अनुमति सक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।)

यह भी जनता के ध्यान में लाया जाता है कि निषिद्ध क्षेत्र में निर्माण या विनियमित क्षेत्र में पूर्वानुमति के बिना निर्माण करने के संबंध में इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर कारावास का दण्ड दिया जा सकता है जिसे बढ़ाकर दो वर्ष तक का कारावास या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों किये जा सकते हैं।

आज्ञा से
भारत सरकार

GRAPH SHOWING

REVENUE EARNED THROUGH ENTRY TICKETS

DEEG BHAWANS, DEEG

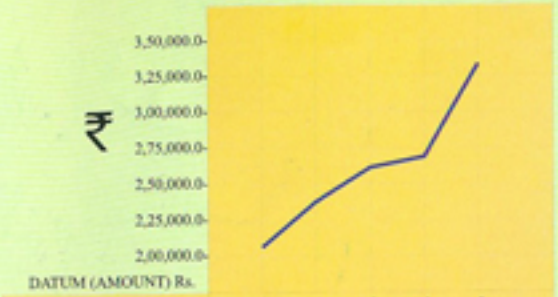

AMOUNT	2,05,415/-	2,37,715/-	2,61,625/-	2,67,930/-	3,33,090/-
YEAR	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
NUMBER OF VISITORS (INDIANS & FOREIGNERS)	17220	20026	22001	30007	41196

प्रकाशन विक्रय पटल

शीतल जल

सुझाव पेटी

सांस्कृतिक सूचना पट्ट

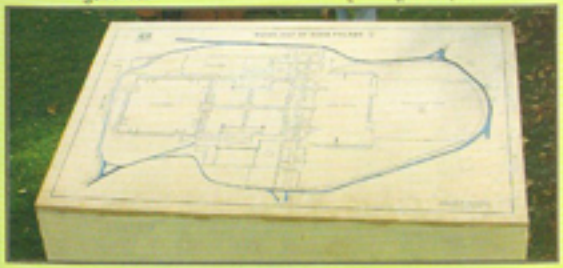

पथ-प्रदर्शक पट्ट